कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–830/2092 नया रायपुर, दिनांक 25/11/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय:– **आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छ.ग. का जशपुर जिले के जशपुर वन मंडल में वन परिक्षेत्र तपकरा एवं पत्थलगांव में प्रस्तावित भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 4.245 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42882/2019

संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–04/ 2020/ 10–2 दिनांक 09.11.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भ पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (एक पृष्ठीय)

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 830/2093 रायपुर, दिनांक 25/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **वन मंडलाधिकारी**, जशपुर वन मंडल, जशपुर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
o/c छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ–5–04/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 9/11/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा जशपुर जिले के जशपुर वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र तपकरा एवं पत्थलगांव में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 4.245 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–830/792, रायपुर दिनांक 27.04.2020।

——000——

कृपया संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित विषयांकित प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं पर त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 01 में **आवेदक विभाग का मांग पत्र** संबंधी चेक लिस्ट क्रमांक. 01 की जानकारी प्रदाय की गई है।

उक्त चेक लिस्ट क्रमांक. 01 में आवेदक विभाग का मांग पत्र संबधी विवरण स्पष्ट नहीं है कृपया संशोधित आवेदक विभाग का मांग पत्र प्रदाय करने का कष्ट करे।

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 26 से 31 में आवेदक वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) प्रदाय किया गया है। जिसमें बिन्दु क्र. 12 में यह जानकारी दिया जाना है कि, **आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नही? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण देवे।** इसके समक्ष उत्तर स्वरूप वनमण्डलाधिकारी द्वारा निरंक लेख किया गया है जो सही नही है। उत्तर हॉ अथवा नही में होना चाहिए अतः वनमण्डलाधिकारी से संशोधित प्रपत्र–3 प्राप्त कर प्रेषित करें।

3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 33 के बिन्दु क्र. 03 में Details of displacement of people due to the project if any ? के संबंध में जानकारी प्रदाय की जानी है इसके समक्ष उत्तर स्वरूप Nil लेख किया गया है। कृपया इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रदाय करें।

4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 1,3,9,10,11,48, 50, 53 तथा पृष्ठ क्रमांक 56 एवं 58 में प्रदायित दस्तावेज में **जशपुर** के स्थान पर **जषपुर** लेख किया गया है। कृपया उक्तानुसार प्रस्ताव में जशपुर शब्द के Spellig को संशोतिध कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

9/11/20

(आर.के.चंचलानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

(19)

पृष्ठां.कमांक / एफ–5–04 / 2020 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग.।

3.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर (छ.ग.)।

4.वनमंडलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जशपुर (छ.ग.)।

5.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

o/c

9/11/20

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

DFCA/ Letter-N/Lalu